न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	02.09.2015	16.12.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक निवासी गर्ल्स स्कूल के पास वार्ड नं. 5 मायला बाग निवाई जिला टोंक

2—श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री चन्दालाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक निवासी गर्ल्स स्कूल के पास वार्ड नं. 5 मायला बाग निवाई जिला टोंक

3—श्री रामलाल जाट पुत्र श्री घीसा राम जाट सोल प्रोपरायटर मैसर्स अष्ट विनायक फूँड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 19—20 सरना डूंगर झोठवाडा जयपुर निवासी मकान नं. 216 जैनी मोहल्ला रेहलाल दूदू जिला जयपुर

.....अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार शर्मा।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 16.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2015 को समय 04:20 पी.एम. मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold)** 499 ग्राम के 25 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मुकेश कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर विक्रेता को बताकर कि यह **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 499–449 ग्राम के 4 नग कुल वजन 1796 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold)** 499–449 ग्राम के 1–1 नग को अलग–अलग चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर एयरटाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–920 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–920 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री मुकेश कुमार जैन मैसर्स प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक ने मैसर्स अष्ट विनायक फूॅड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 19–20 सरना डूंगर झोठवाडा जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण मैसर्स अष्ट विनायक फूॅड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 19–20 सरना डूंगर झोठवाडा जयपुर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने वाला पत्र प्रेषित किया तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1304 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/122/एक्ट/2015/166 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold) मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं जवाब पेश कर बहस की एवं बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **इडीबल वेजीटेबल फैट श्री हरि गोल्ड मूल पैक (Edible vegetable Fat Shree hari gold)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 20,000/—(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0